माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /14/15 निगरानी

राजेन्द्रसिंह पिता श्री नाहरसिंह राठौर
निवासी नीमच ———— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला पंजीयक नीमच
————अनावेदक

आवेदन पत्र बाबत प्रकरण पुन : रिकार्ड पर लिये जाने हेतु

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत है :–

1– यह कि, आवेदक ने एक निगरानी आवेदन अधिनस्थ योग्य न्यायालय जिला पंजीयक महोदय नीमच के द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर निगरानी दिनांक 30–12–2014 को प्रस्तुत की है जो प्रथम दृष्टया स्वीकार किये जाने योग्य है नियत दिनांक 08–01–2015 को आवेदक अभिभाषक द्वारा उक्त प्रकरण में प्रारंभिक बहस की जा चुकी थी तथा प्रकरण में रिकार्ड तलब करने एवं सुचना पत्र जारी किये जाने के आदेश भी तत्काल माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका था। किन्तु उसके पश्चात नियत दिनांको पर प्रकरण प्रत्रिका केम्प पर उज्जैन में नही आई जबकि आवेदक अभिभाषक प्रत्येक केम्प में उक्त प्रकरण प्रत्रिका की तलाश करते रहे इस संबंध में आवेदकगण की और से उनके अभिभाषक ने दिनांक 18–12–2015 को व उसके पश्चात पुन : दिनांक 19–01–2016 को प्रकरण प्रत्रिका उपलब्ध नही होने संबंधी एवं स्थगन आवेदन भी प्रस्तुत किया।

2– यह कि, आवेदक को विस्वस्त सुत्रो से ज्ञात हुआ है कि प्रकरण दिनांक 18–06–2015 को बोर्ड पर रखा जाकर अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है जबकि आवेदक अभिभाषक अथवा आवेदक को पेशी की कोई सुचना माननीय न्यायालय की और से नही दी गई थी इस प्रकार आवेदक न्याय प्राप्ति से वंचित हो रहा है ।

3– यह कि, यदि प्रकरण पुन : नंबर पर लिया जाकर उसका निराकरण गुणदोष के आधार पर नही किया गया तो आवेदक न्याय प्राप्ति से वंचित रह जावेगा। क्योकि आवेदक ने अपने पक्ष में सह खातेदारो से स्वत्व त्याग करवाया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय नें उसे विक्रय मानकर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क वसुली का आदेश प्रदान किया है तथा इस हेतु अधिनस्थ न्यायालय की और से आवेदक पर राशि जमा किये जाने हेतु दबाव बनाया जा रहा है यदि प्रकरण को पुन : रिकार्ड पर लिया जाकर उसका गुणदोष के आधार पर निराकरण नही किया गया तो आवेदक को ऐसी अपूर्व मान्य क्षति होगी जिसकी पुर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से नही हो सकेगी।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि प्रस्तुत निगरानी आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः रिकार्ड पर लिया जावे। तथा प्रकरण का निराकरण सूनवाई उपरांत गुणदोष के आधार पर करने की कृपा करें।

इति दिनांक

प्रार्थीगण

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र नाहरसिंह
2. सुशील कुमार पुत्र नाहरसिंह

[illegible] / नारायण

R 2779-III/02

29-9-2016

आवेदक की ओर से प्रस्तुत रेस्टोरेशन आवेदन पर तर्कों पर विचार किया गया। पर्याप्त आधार होने से रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्रमांक अपील-61-III/2015 पुनः नम्बर पर लिया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष